144

संख्या : 594/VI/2016–22(2)2015

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांक : 08 अगस्त, 2016**

विषय : स्पोर्ट्स स्टेडियम, टनकपुर के अनुरक्षण एवं उच्चीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–612/VI-2/2015–22(2)2015, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के अनुक्रम में तथा आपके पत्र संख्या–550/अव0सु0अनु0पत्रा0/2015–16, दिनांक 29 जुलाई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, टनकपुर के अनुरक्षण एवं उच्चीकरण किये जाने हेतु टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹ 44.62 लाख के सापेक्ष ₹ 31.00 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अवशेष बची धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 13.62 लाख (₹ तैरह लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक–15.12.2008, शासनादेश संख्या–414/XXVII(7)/2007, दिनांक–23.10.2008 एवं शासनादेश संख्या–594/XXVII(7)/2010 दिनांक–09.06.2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

7— विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियनता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—2047/XIV—219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

9— आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यो से इतर कार्यो/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली—2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10— कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

11— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्यक करा लिया जाय तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य की गुणवत्तापरीक्षण के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय का तद्नुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

12— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 के अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक—4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—03—खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम—102—खेलकूद स्टेडियम—09—अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण—24 —वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष** के नामे डाला जायेगा।

<u>संलग्नक: अलाटमेंट आई0डी0 संख्या—S1608110236 ,दिनांक 08 अगस्त, 2016</u>

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव

<u>संख्या : 594/VI/2016—22(2)2015, तद्‌दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी—1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. जिला क्रीड़ाधिकारी, चम्पावत।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. महाप्रबंधक,उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लोहाघाट, चम्पावत।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

C:\Users\Lenovo\Desktop\August 2015\finance dec 2015\g.o.docx